



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251087
CG-DL-E-02012024-251087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

का.आ. 41(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'कर्नाटक स्टेट रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी', (पैन:- AACAK0581H), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उक्त निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान ;
- कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान ; और
- बैंक जमाओं पर अर्जित व्याज ।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक स्टेट रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी' –

- किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;
- कार्यकलापों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो कि क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए प्रासंगिक है।

[अधिसूचना सं. 2/2024/फा. सं. 300196/20/2019-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।